उत्तर प्रदेश शासन

चिकित्सा अनुभाग-8

संख्या-16/2017/179/पांच-8-2017-म0(345)/2012टी0सी0-1।

लखनऊ : दिनांक 12 जनवरी, 2017

कार्यालय-ज्ञाप

प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के अन्तर्गत शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2478/पांच-8-2014-म0(345)/2012, दिनांक 18-09-2012 द्वारा डा0 अमित कुमार सिंह, चिकित्साधिकारी को जिला चिकित्सालय, भदोही के अधीन नियुक्ति/तैनाती प्रदान की गयी। उक्त आदेश के अनुपालन में डा0 सिंह द्वारा जिला चिकित्सालय, भदोही के कार्यालय में दिनांक 01-12-2014 को योगदान आख्या प्रस्तुत की गयी तथा दिनांक 04-12-2014 को उच्च प्रशिक्षण(ई0एन0टी0 ट्रामा सर्जरी) हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए दिनांक 07-12-2014 से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित हो गये। डा0 अमित कुमार सिंह द्वारा पी0जी0 कोर्स पूर्ण करने के उपरान्त अपने पत्र दिनांक 16-06-2016 द्वारा पुनः योगदान कराये जाने का अनुरोध किया गया। इस संबंध में मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, एम0बी0एस0 राजकीय चिकित्सालय, संतरविदासनगर भदोही के पत्र संख्या-एम0बी0एस0/डा0 अमित/2016-17/55, दिनांक 10-08-2016 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या एवं संगत अभिलेखों पर सम्यक विचारोपरान्त डा0 अमित कुमार सिंह, एम0एस0 (ई0एन0टी0) को एम0बी0एस0 राजकीय चिकित्सालय, संतरविदास नगर भदोही के अधीन इस शर्त के साथ कार्यभार ग्रहण कराये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है कि उनकी उच्च शिक्षा ग्रहण करने की अवधि के सम्बन्ध में पृथक से निर्णय लिया जायेगा।

2- डा0 अमित कुमार सिंह, चिकित्साधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे दिनांक 08-02-2017 तक एम0बी0एस0 राजकीय चिकित्सालय, संतरविदास नगर भदोही के कार्यालय में योगदान आख्या प्रस्तुत करें। यह भी सचेत करते हुए स्पष्ट किया जाता है कि निर्धारित तिथि तक कार्यभार ग्रहण न करने पर योगदान कराने विषयक आदेश स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

डा0 नीरज शुक्ला,

विशेष सचिव।

क्रमशः

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-16/2017/179(1)/पांच-8-2017-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

2- महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाए, उ0प्र0,लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया डा0 अमित कुमार सिंह, चिकित्साधिकारी को अपने स्तर से तत्काल सूचित करते हुए निर्धारित तिथि 08-02-2017 तक कार्यभार ग्रहण कराया जाना सुनिश्चित करते हुए इस आदेश की प्रति विभागीय वेवसाइट पर आज ही अपलोड कराना सुनिश्चित कराते हुए शासन के पत्र संख्या-2392/पांच-8-2016-म(345)/2012टी0सी0-11, दिनांक 20-07-2016 के क्रम में डा0 अमित कुमार सिंह, चिकित्साधिकारी की अनधिकृत अवधि के सम्बन्ध में सुस्पष्ट आख्या शासन को एक सप्ताह में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

3- अपर निदेशक(कार्मिक/गोपन)चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाए, उ0प्र0,लखनऊ।

4- अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, विन्धयांचल(मिर्जापुर) मण्डल।

5- मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, एम0बी0एस0 राजकीय चिकित्सालय, संतरविदासनगर भदोही।

6- कोषाधिकारी, संतरविदासनगर, भदोही।

7- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी।

8- प्रभारी/कम्प्यूटर सेल (पी-2), महानिदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि सम्बन्धित चिकित्साधिकारी से पी0जी0 कोर्स का संगत प्रमाण-पत्र प्राप्त करके पी-2 में एक माह के अन्दर अंकित कर शासन को अवगत कराना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

9- गार्ड फाइल/प्रभारी कम्प्यूटर सेल को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(शिवगोपाल सिंह)

अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा अनुभाग-8
संख्या-19/2017/178/पांच-8-2017-जी0(270)/2016
लखनऊ: दिनांक 13 जनवरी, 2017

कार्यालय-ज्ञाप

शुद्धि पत्र

प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के अन्तर्गत शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-41/926/पांच-8-2015-म0(4)/2015, दिनांक 04-03-2015 द्वारा लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद की चयन संस्तुति के क्रम में प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के अन्तर्गत वेतनमान/वेतन बैण्ड रू0 15,600-39,100/- ग्रेड पे रू0 5400/- में एलोपैथिक चिकित्साधिकारी के पद पर डा0 अभिषेक सिंह की नियुक्ति/तैनाती मुख्य चिकित्साधिकरी, औरैया के अधीन की गयी।

2- डा0 अभिषेक सिंह द्वारा पी0जी0 पैथोलॉजी करने के उपरान्त शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त डा0 अभिषेक सिंह, चिकित्साधिकारी की अधीन मुख्य चिकित्साधिकारी, औरैया में की गयी तैनाती को संशोधित करते हुए उन्हें ए0एच0एम0 एण्ड डफरिन चिकित्सालय, कानपुर नगर में रिक्त पैथोलॉजिस्ट के पद पर इस शर्त के साथ कार्यभार ग्रहण कराये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है कि उनकी पी0जी0 अवधि के सम्बन्ध में पृथक से निर्णय लिया जायेगा।

3- अतएव कार्यालय ज्ञाप दिनांक 03-01-2017 इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

डा0 नीरज शुक्ला
विशेष सचिव।

संख्या-19/2017/178/(1)/पांच-8-2017-तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- महानिदेशक/निदेशक(प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0,लखनऊ।
4- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0, इलाहाबाद।
5- अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कानपुर मण्डल, कानपुर।
6- मुख्य चिकित्साधिकारी, औरैया।
7- मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, ए0एच0एम0 एण्ड डफरिन चिकित्सालय, कानपुर नगर।
8- कोषाधिकारी, औरैया/कानपुर नगर।
9- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी।
10- गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,

(शिवगोपाल सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।